राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2863/2025

भंवर लाल शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.05.2025
आदेश की दिनांक : 23.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर एसीबीईओ का कार्य श्रीगंगानगर, जिला गंगानगर में कर रहा है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 13.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शाहबाद, बारां से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खटका शाहबाद, बारां किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.01.2025 के द्वारा निलंबित किया गया, जिसे अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3464/2022 प्रस्तुत करते हुये दिनांक 26.03.2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित कर अपीलार्थी को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन/अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया और दिनांक 23.04.2025 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निर्णित कर निलंबन आदेश को अपास्त कर दिया गया तथा

अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी ने गंगानगर में नजदीकी विद्यालयों में पदस्थापन हेतु अभ्यावेदन दिया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया और उसे जिला बारां में पदस्थापित किया गया, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बिना अनुमति के अपीलार्थी का जिले से बाहर स्थानांतरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी को चार माह से न वेतन और न ही भत्ते आदि दिया जा रहा है और इस प्रकार जारी किया गया पदस्थापन आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है, जो प्रतिबंध अवधि में जारी किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.05.2025 एवं 16.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को गंगानगर में एसीबीईओ के पद पर कार्य करने के निर्देश दिये जावे तथा वेतन आदि भी दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य के पद पर एसीबीईओ का कार्य श्रीगंगानगर, जिला गंगानगर में कर रहा है। आलोच्य आदेश दिनांक 13.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शाहबाद, बारां से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खटका शाहबाद, बारां किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.01.2025 के द्वारा निलंबित किया गया, जिसे अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3464/2022 प्रस्तुत करते हुये दिनांक 26.03.2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित कर अपीलार्थी को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन/अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया और दिनांक 23.04.2025 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निर्णित कर निलंबन आदेश को अपास्त कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 13.05.2025 के द्वारा शाहबाद, बारां पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है, परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा उपरांत एवं अपीलार्थी के बहाली होने पर उसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

खटका, ब्लॉक शाहबाद, बारां पदस्थापित किया गया है न कि स्थानांतरण किया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश एक पदस्थापन आदेश है न कि स्थानांतरण आदेश। अतः अपीलार्थी के तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य